न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	122/2025 (2025/176)	26.06.2025	देवीदयाल व अन्य बनाम सरकार	21.04.2026	1 लगायत 3

1 देवीदयाल पुत्र गिर्राज जाति ब्राहम्ण निवासी जीवली तहसील वजीरपुर।
2 आशा पुत्री गिर्राज पत्नि मदनमोहन जाति ब्राहमण निवासी सालोदा शिवपूरी ब्लॉक–बी गंगापुर सिटी।
3 सन्तोष पुत्री गिर्राज पत्नि महेश बगदीया बस्ती गोठरा करौली।

—— अपीलार्थी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील वजीरपुर। – रेस्पोडेन्ट

उपस्थित–
अपीलान्ट की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री सतीश कुमार शर्मा
रेस्पोडेन्ट की ओर से– पेरोकार सरकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956

निर्णय

यह अपील तहसील वजीरपुर के नामान्तकरण सं0 31 दिनांक 30.06.87 वाके ग्राम जीवली से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। उक्त नामान्तकरण सं0 31 दिनांक 30.06.87 द्वारा ग्राम जीवली में स्थित भूमि खं0नं0 147/1707 रकबा 0.21 है0 भूमि का नामान्तकरण गिर्राज पुत्र कजोड ब्राहम्ण खातेदार से सिवायचक भूमि का नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तकरण से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट सं0 1 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित होने पर तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम जीवली तहसील गंगापुर सिटी हाल तहसील वजीरपुर की भूमि खं0नं0 147/1707 रकबा 0.21 है0 जो गिर्राज पुत्र कजोड जाति ब्राहम्ण निवसी जीवली की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि रही । उक्त भूमि को गलत रूप से आदेश दिनांक 12.05.1987 से सिवायचक भूमि के रूप में दर्ज कर दिया गया, जबकि इस प्रकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:21:39 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

का कोई आदेश दिनांक 12–5–87 को नहीं दिया गया और यदि इस दिनांक का कोई आदेश हैं तो वह बिना खातेदार को सूचना दिये ही दिया गया है। बिना आदेश ही अपीलार्थी के पिता गिर्राज के नाम दर्ज खातेदार की भूमि को सिवायचक भूमि उक्त नामान्तकरण दिनांक 30–6–87 द्वारा दिया गया जो अवैधानिक होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं। अपीलान्ट के पिता गिर्राज पुत्र कजोड जिनकी मृत्यु हो चुकी हैं अपीलार्थीगण उनके वारिस हैं। अपीलार्थीगण के पिता गिर्राज द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ख०नं० 147/1707 रकबा 0.21 हेक्टर ग्राम जीवली को ईंट भट्टा लगाने के लिये कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने के लिये आवेदन किया। जिस पर 99 वर्ष की अवधि के लिये लीज पर भूमि दी गई तथा कुछ शर्तों के साथ भू–परिवर्तन के आदेश दिये, जिनमें 200/– रूपयें प्रति एकड की दर से विकास शुल्क देने, दो वर्ष के अन्दर इस भूमि पर इंट भट्टा स्थापित करने तथा ऐसा नहीं करने पर भूमि वापस उधोग विभाग से निरस्त हुयी मानी जावेगी, ऐसी शर्तों पर दिनांक 29–7–87 को आदेश दिये गये जो आदेश प–3 (2) (12) (725) राजस्व/ई.भ./7/5444 दिनांक 29–7–87 द्वारा दिये गये, जबकि जो विवादित नामान्तकरण सं० 31 दिनांक 30–6–87 हैं वह उक्त आदेश से पूर्व ही दि० 30–6–87 को तस्दीक किया जाकर अपीलार्थीगण की भूमि को सिवायचक भूमि दर्ज कर 'दिया गया जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं। अपीलार्थीगण की भूमि बाबत ईट भट्टा के भू–परिवर्तन आदेश दिनांक 29–7–87 की पालना में लीज डीड बनाई जाकर उसकी राशि जमा कराने के उपरान्त ही भूमि परिवर्तन आदेश की पालना में भूमि परिवर्तन का नामान्तकरण भरा जाकर तस्दीक होना चाहिये था परन्तु उक्त आदेश दिनांक 29–7–87 की पालना न होने के बावजूद बिना किसी आदेश के उक्त विवादित नामान्तकरण आदेश दिनांक 12–5–87 का अकित करते हुये अपीलार्थीगण की भूमी को सिवायचक भूमि दर्ज कर दिया गया, जबकि अपीलार्थीगण की उक्त भूमि बाबत दिनांक 12–5–87 को कोई आदेश पारित नहीं किया गया। इसलिये उक्त आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य हैं। अपीलार्थीगण के पिता गिर्राज या अपीलार्थीगण द्वारा कभी उक्त भूमि को ईट–भट्ट के उपयोग में नहीं लिया गया, क्योकि ईट–भट्टे हेतु दिये गये आवंटन आदेश दिनांक 29–7–87 की पूर्णः पालना नही हो सकी तथा न ही इस बाबत कोई लीज डीड निष्पादित की गयी तथा न ही कोई राशि जमा हुई तथा उक्त भूमि लगातार कृषि कार्य हेतु उपयोग में ली जाती रही हैं तथा वर्तमान में भी कृषि काश्त में ही उपयोग में आ रही हैं। अपीलार्थीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी हैं तथा अपीलार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज रहकर लगातार काश्त करते चले आ रहे है, साथ ही अपीलार्थी के अधिवक्ता ने उक्त अपील स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण सं0 31 दिनांक 30.06.87 ग्राम जीवली निरस्त कर उक्त वाद अराजीयात पुनः खातेदारी दर्ज करने हेतु निवेदन किया है।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तस्दीक किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने नामान्तकरण 31 दिनांक 30.06.87 वाके ग्राम जीवली यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:21:39 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कार्यालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के आदेश कमांक प–3 (2) (12) (725) राजस्व/ई.भ./87/5443 दिनांक 29–7–87 द्वारा ग्राम जीवली में स्थित भूमि ख0नं0 147/1707 रकबा 0.21 ऐयर भूमि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 के अर्न्तगत ईट भट्टा स्थापित करने हेतु 99 वर्ष की अवधि के लिये लीज पर आवंटित की गई थी तथा कार्यालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के आदेश कमांक प–9 (2) (12) (725) राजस्व/ई.भ./87/1726–34 दिनांक 22.06.99 द्वारा उक्त स्वीकृति निरस्त की जा चुकी है। नामान्तकरण सं0 31 दिनांक 30.06.87 वाके ग्राम जीवली का अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तकरण जिला कलेक्टर के आदेश कमांक प–3 (2) (12) राजस्व/ई.भ./2880 दिनांक 12.05.87 के अनुसरण में तस्दीक किया गया है। यदि प्रार्थी उक्त वाद–आराजीयात पुनः खातेदारी दर्ज करवाना चाहता है तो जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर नामान्तकरण सं0 31 दिनांक 30.06.87 वाके ग्राम जीवली यथावत रखा जाता है तथा अपीलार्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि पुनः खातेदारी दर्ज करने हेतु जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करे तथा निर्णय की प्रति जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर को पृथक से भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 16:21:39 IST
Reason: SelfAttested